

दिनांक:- 04.01.2018 को अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग की अध्यक्षता में आयोग की द्वितीय बैठक की कार्यवाही।

---

उपस्थिति:-

1. श्री सुधीर प्रसाद, अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
2. श्री उपेन्द्र नारायण उरॉव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
3. श्रीमती वीणा मिश्रा, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
4. श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
5. डॉ० रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।
6. श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग।

बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1. पहली बैठक में लिये निर्णय के अनुसार आयोग का कार्य इसी कार्यालय में हो रहा है।
2. विभाग से सेवानिवृत्त बी०एस०ओ० को संविदा पर रखने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, उन्हीं कर्मियों को नियुक्ति कि पश्चात उन्हें विभाग से प्रतिनियुक्ति पर देने का अनुरोध **पत्रांक:- 27 दिनांक:- 16.10.2017** किया गया है। विभाग को पुनः स्मारित किया जाय।
3. उप विकास आयुक्त, राँची ने एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रतिनियुक्ति की है, उसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया गया।
4. आयोग एक सर्वथा नया कार्यालय है, जिसके लिए अनुभवी कर्मियों की आवश्यकता होगी। तदनुसार मानदेय पर नियुक्त कर्मियों के मानदेय की राशि भुगतान के संबंध में सदस्य सचिव विभागीय सचिव से वार्ता कर शीघ्र भुगतान की कार्रवाई करें। क्योंकि नियुक्ति पर विभागीय सचिव की सहमति प्राप्त है।
5. आयोग के लिए पद सृजन की प्रक्रिया में संचिका की गति पता कर, आ रही बाधा के संबंध में समुचित कार्रवाई सदस्य सदस्य के स्तर से की जाएगी।
6. पद सृजन के पश्चात् मानदेय पर कार्यरत कर्मियों को रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी तथा वित्त विभाग के प्रावधान के अनुरूप भुगतान किया जाएगा।
7. ऐसी परिस्थिति में विभाग से अनुरोध किया जाता है कि **मार्च 2018** तक संविदा पर ही कर्मियों से काम लेने की अनुमति दी जाय।

8. आयोग का गठन उच्चतम न्यायालय के निहित आदेश से हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने याचिका संख्या:- 857/2015 में दिनांक:- 22.03.17 के आलोक में, पत्रांक:- 1631 दिनांक:- 16.04.17 द्वारा आयोग का गठन किया गया है।
9. वित्तीय वर्ष 2017 – 18 में NFSA में कुल बजट 2 करोड़ रु0 का है, इसमें Allotment 80 लाख रु0 हुआ है। अभी भी 1.20 करोड़ रु0 आवंटन हेतु अवशेष है। व्यय विवरणी निम्न है:-

क्रमांक	मद	कुल आवंटन (लाख रु0 में)	कुल व्यय (लाख रु0 में)	शेष राशि (लाख रु0 में)
1	SCSP	10.00	4.43	5.57
2	TSP	40.00	20.00	20.00
<b>कुल योग</b>		<b>50.00</b>	<b>24.43</b>	<b>25.57</b>

10. झारखण्ड सरकार से 50 लाख रु0 आवंटन मांगा गया है, इसके लिए पत्रांक:- 91 दिनांक:- 24.11.17 एवं पत्रांक:- 141 दिनांक:- 21.12.17 के द्वारा स्मार भी दिया गया। पुनः स्मारित किया जाय।
11. माननीय सदस्यों को मोबाइल खरीदने का आदेश दिया गया था। Laptop क्रय करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्य मोबाइल क्रय कर सूचित करें।
12. Website हेतु प्राप्त कोटेशन पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित कर website लॉन्च किया जाय।
13. पिछली बैठक में P.G.M.S के पैटर्न पर दो PRO रखने का निर्णय लिया गया था। इस पर सदस्य सचिव कार्रवाई शीघ्र करें।
14. आहार में अभी दो महीने का ही आंकड़े दिखते हैं। 6 माह तक के आंकड़े दिखाने का अनुरोध NIC में किया जाय।
15. GEM में Registration का कार्य प्रगति में है। एक सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा।
16. IPRD का Printing दर की प्रति डॉ0 रंजना कुमारी माननीय सदस्य शीघ्र प्राप्त करें।
17. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग कार्यालय का साईन बोर्ड/पर्दा/नेम प्लेट/फ्लोर मैट आदि का कार्यादेश आज ही निर्गत हुआ है।
18. आयोग के लंबित विपत्रों के विरुद्ध शीघ्र भुगतान की कार्रवाई सदस्य सचिव सुनिश्चित करेंगे।
19. श्रीमती वीणा मिश्रा, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग सेवानिवृत्त हो रहीं हैं, उनका Arrear का भुगतान किया जाय। उनकी सूचना विभाग को दिया जाय।

20. स्थाई अग्रिम हेतु आयोग के पत्रांक:- 118 दिनांक:- 07.12.17 द्वारा विभाग को अनुरोध पत्र भेजा गया है। पुनः स्मार दें।
21. भाड़े पर गाड़ी रखने के दर का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि 05.10.2017 की बैठक में राजस्व विभाग के दरों को अंगीकृत करने का निर्णय हुआ था। तीन माह से यह मामला लंबित है। सदस्य सचिव विभाग में वार्ता कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
22. आहार एवं P.G.M.S का Log in Password प्राप्त हो गया है।
23. राज्य खाद्य आयोग के द्वारा फरवरी 2018 में एक कार्यशाला रखने का निर्णय लिया गया।
24. आयोग के लिए DDO घोषित करने हेतु पत्रांक:- 136 दिनांक:- 19.12.17 विभाग को भेजा गया। पुनः स्मार दें।
25. Bank Account /गाड़ी क्रय/पद सृजन के प्रस्ताव अभी भी लंबित है। स्मार दिया जाय।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-  
(सुधीर प्रसाद)  
अध्यक्ष  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग  
राँची।

ज्ञापांक:- रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 - 67

राँची, दिनांक:- 09.02.18

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव,  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग  
राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 – 67

राँची, दिनांक:— 09.02.18

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

ह0/—  
( सुनील कुमार सिन्हा )  
सदस्य सचिव  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग  
राँची।

ज्ञापांक:— रा0खा0आ0 (बैठक) 23/2017 – 67

राँची, दिनांक:— 09.02.18

प्रतिलिपि:— श्री उपेन्द्र नारायण उराँव, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्रीमती वीणा मिश्रा, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री रामकरण रंजन, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री हलधर महतो, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/डॉ० रंजना कुमारी, सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग/श्री सुनील कुमार सिन्हा, सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

ह0/—  
(सुनील कुमार सिन्हा)  
सदस्य सचिव  
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग  
राँची।